प्रदूषण ▶ कपड़े-बर्तन धोने और पशुओं को नहलाने से जलजीवों पर मंडरा रहा संकट

संग्राम सागर तालाब हो रहा प्रदूषण का शिकार

जबलपुर, नवभारत। शहर का ऐतिहासिक संग्राम सागर तालाब, जिसे नगर की प्राकृतिक धरोहर और पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण जलाशय माना जाता है, इन दिनों गंभीर प्रदूषण की चपेट में आता दिखाई दे रहा है। तालाब के विभिन्न घाटों पर खुलेआम लोग कपड़े और बर्तन धो रहे हैं, वहीं कई स्थानों पर मवेशियों को तालाब के पानी में नहलाया जा रहा है।

इससे न केवल तालाब का पानी दूषित हो रहा है बल्कि इसकी स्वच्छता और पर्यावरणीय संतुलन पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इस तालाब में बढ़ते प्रदूषण को लेकर यहाँ घूमने आने वाले लोगों का कहना है कि यदि समय रहते इस पर रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले वक़्त में यह ऐतिहासिक जलाशय अपनी पहचान खो सकता है। हाल के महीनों में भी संग्राम सागर के संरक्षण और स्वच्छता को लेकर अभियान चलाए गए थे लेकिन जमीनी स्तर पर ऐसी गतिविधियां जारी रहने से

उनके प्रभाव पर सवाल उठ रहे हैं। विशेषज्ञों के अनुसार तालाब में साबुन, डिटर्जेंट और अन्य रासायनिक पदार्थों का लगातार मिलना जल की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। इससे पानी में घुलित ऑक्सीजन का स्तर कम हो सकता है, जिसका सीधा असर मछलियों और अन्य जलीय जीवों पर पड़ता है।

बिगड़ती जा रही है स्थिति

बता दे कि पशुओं को तालाब में नहलाने से गंदगी, जैविक अपशिष्ट और संक्रमण फैलने की आशंका भी बढ़ जाती है। वही देश के अन्य जलाशयों में प्रदूषण और ऑक्सीजन की कमी से जलजीवों के प्रभावित होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं, जो ऐसे मामलों में चेतावनी का संकेत हैं। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि तालाब की निगरानी और रखरखाव के लिए जिम्मेदार विभागों की उदासीनता के कारण स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। कई स्थानों पर चेतावनी बोर्ड नहीं हैं और जहां हैं भी, वहां उनका पालन नहीं कराया जा रहा। यदि प्रशासन नियमित निगरानी, जुर्माने की कार्रवाई और जनजागरूकता अभियान नहीं चलाता, तो करोड़ों

रुपये से विकसित किए गए इस ऐतिहासिक स्थल का संरक्षण मुश्किल हो जाएगा। पूर्व में भी संग्राम सागर की बदहाल स्थिति और प्रदूषण को लेकर कई बार सवाल उठ चुके हैं।

फूल माला कर रहे विसर्जित

ऐतिहासिक संग्राम सागर तालाब के पास में स्थित विश्व प्रसिद्ध मंदिर में आने वाले श्रद्धालुगण इस तालाब में फूल माला विसर्जित कर रहे हैं। शहरवासियों का मानना है कि संग्राम सागर केवल एक तालाब नहीं, बल्कि जबलपुर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यावरणीय धरोहर है। ऐसे में यहां कपड़े और बर्तन धोने, पशुओं को नहलाने तथा अन्य प्रदूषणकारी गतिविधियों पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। साथ ही नियमित सफाई, सुरक्षा कर्मियों की तैनाती और सख्त निगरानी सुनिश्चित कर इस जलाशय को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में ठोस कदम उठाना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गई है।

दफ्तरों के गलियारे

सबसे मजबूत केस वही, जिसके साथ सबसे ज्यादा समर्थक

जिला अधिवक्ता संघ के चुनावी कार्यक्रम की घोषणा होते ही न्यायालय परिसर का माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में रंग गया है। अभी तक जो अधिवक्ता कानूनी दलीलों में व्यस्त दिखाई देते थे, वे अब वोटों के गणित, समर्थन जुटाने और चुनावी रणनीति बनाने में अधिक सक्रिय नजर आ रहे हैं। चेंबरों से लेकर कैंटीन और बार लाइब्रेरी तक हर जगह चुनावी चर्चाओं का दौर गर्म है।दिलचस्प बात यह है कि जिन अधिवक्ताओं के पास पहले समय की कमी रहती थी, वे अब हर साथी अधिवक्ता से मुस्कुराकर हाथ मिलाते और हालचाल पूछते दिखाई दे रहे हैं। वर्षों से कम दिखाई देने वाले चेहरे भी अचानक सक्रिय हो गए हैं। चुनावी समीकरणों के बीच पुराने मतभेद भुलाकर नए रिश्ते बनाए जा रहे हैं, जबकि समर्थकों की टोली अपने-अपने प्रत्याशी की जीत के दावे बड़े आत्मविश्वास से कर रही है। चुनावी सरगर्मियों पर अधिवक्ताओं के बीच हल्के-फुल्के व्यंग्य भी खूब सुनाई दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि अब कोर्ट में तारीख से पहले वोट की बात होगी, तो कोई मजाक में बोल रहा है कि फिलहाल सबसे मजबूत केस वही है, जिसके साथ सबसे ज्यादा समर्थक हैं।

साहब को लगा झटका, थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा!

एक कायमी को दबाने का जो हुनर साहब ने इतने दिनों से पाल रखा था, उसकी पोल सीधे बड़े साहब के दरबार में खुल गई है बल्कि जांच बैठ गई है और थानेदार की तो रातों की नींद और दिन का चैन ही उड़ गया। दिमाग 440 वोल्ट की रफ्तार से दौड़ रहा है। पुलिसिया गलियारों में तो चर्चा यहां तक है कि अब जब ऊपर से कुर्सी हिलती दिख रही हो, तो गुस्सा बेचारे फरियादियों पर फूट रहा है। अपनी झल्लाहट छिपाने के लिए वे एक फरियादी से ही उलझ गए और बोले पता नहीं लोग अपने आप को क्या समझते हैं! इधर शिकायत की नहीं कि उधर तुरंत कार्रवाई और गिरफ्तारी चाहिए! अरे हुजूर! अब उस सीधे-साधे फरियादी को क्या पता कि साहब की खुद की सट्टी-पिट्टी गुम हो चुकी है। अब देखना यह है कि बड़े साहब का यह चाबुक टीआई साहब को सीधा करता है, या थाना प्रभारी का यह ऊटपटांग अलाप ऐसे ही चलता रहेगा!

धनंजय श्रीवास्तव, अजहर खान

तेज रफ्तार बाइक ने पीछे से मारी टक्कर, बड़े भाई की मौत, छोटा घायल

नवभारत, जबलपुर । बेलखेड़ा थाना अंतर्गत अन्नपूर्णा ढाबा के पास एक अज्ञात मोटरसाइकिल चालक ने तेज गति और लापरवाही से वाहन चलाते हुए आगे जा रही बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में बाइक चला रहे 26 वर्षीय युवक की सिर में गंभीर चोट आने के कारण दर्दनाक मौत हो गई, जबकि पीछे बैठा उसका छोटा भाई घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

पुलिस के मुताबिक, ग्राम सुनाचर निवासी रंजीत भूमिया (24) ने बताया कि वह 2 अपने

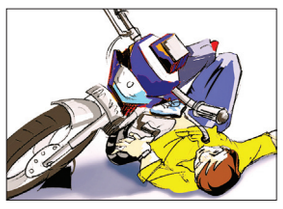

बड़े भाई देवेन्द्र भूमिया (26) के साथ मोटरसाइकिल से अपने बहनोई को छोड़ने पाटन गए थे। बीती रात दोनों भाई वापस अपने गांव लौट रहे थे। बाइक बड़ा भाई देवेन्द्र चला रहा था और रंजीत पीछे बैठा था। दोनों भाई जैसे ही बेलखेड़ा क्षेत्र में अन्नपूर्णा ढाबा के पास पहुंचे, तभी पीछे से आ रही मोटरसाइकिल क्रमांक एमपी 20 जेड डी 0969 के चालक ने लापरवाही से गाड़ी दौड़ाते हुए उनकी बाइक को पीछे से उड़ा दिया। टक्कर लगते ही दोनों भाई सड़क पर गिरकर लहूलुहान हो गए। रंजीत के पैर में चोट आई, वहीं देवेन्द्र के सिर पर गंभीर चोट लगने के कारण वह अचेत हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची डायल 112 की मदद से दोनों भाइयों को तत्काल उपचार के लिए शहपुरा अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टर ने परीक्षण के बाद देवेन्द्र भूमिया को मृत घोषित कर दिया।

डैम पार करते समय पैर फिसलने से पानी में डूबा युवक, मौत

नवभारत, जबलपुर। मझौली थाना अंतर्गत ग्राम कटाव में बने डैम को पार करते समय एक 20 वर्षीय युवक का पैर फिसल गया। गहरे पानी में डूबने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के मुताबिक, कटनी जिले के बरही का रहने वाला सचिन पारधी (20) सुबह करीब 9:30 बजे कटाव ग्राम में अपने मामा संतोष पारधी के घर आया था। सचिन का परिवार घूम-घूमकर रुद्राक्ष की माला, केसर, कस्तूरी और चूड़ी-कंगन बेचने का काम करता है। शाम करीब 5:30 बजे सचिन कटाव नदी पर बने डैम को पार कर रहा था। इसी दौरान अचानक उसका संतुलन बिगड़ गया और पैर फिसलने से वह सीधे गहरे पानी में जा गिरा। वहां मौजूद लोगों ने शोर मचाया, जिसके बाद स्थानीय निवासी तुरंत मदद के लिए नदी में कूदे। आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद सचिन को पानी से बाहर निकाला। लेकिन तब तक फेफड़ों में अत्यधिक पानी भरने के कारण उसकी सांसें थम चुकी थीं। घटना की खबर मिलते ही मृतक के साले के लड़के बादल ने परिजनों को फोन पर इसकी सूचना दी, जिसके बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई। मृतक के पिता बनाफर पारधी (55) ने मझौली थाने में सूच ना दी । पुलिस ने पिता के बयानों के आधार पर मर्ग दर्ज कर लिया है। शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

जीआरपी ने चलाया जागरूकता अभियान

जबलपुर, नवभारत। रेल यात्रियों को साइबर ठगी से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से जीआरपी थाना जबलपुर द्वारा संचालित साइबर जागरूकता अभियान सेफ क्लिक 2026 का द्वितीय संस्करण लगातार प्रभावी ढंग से चलाया जा रहा है।

अभियान के ग्यारहवें दिवस, शनिवार 4 जुलाई 2026 को जबलपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 एवं 6 पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान रेल यात्रियों, ऑटो चालकों, वेंडरों एवं कुलियों को एकत्रित कर साइबर अपराधों से बचाव के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। जीआरपी अधिकारियों ने बताया कि वर्तमान समय में डिजिटल माध्यमों से होने वाली ठगी के मामलों में लगातार

वृद्धि हो रही है, इसलिए सतर्कता और जागरूकता ही सबसे बड़ा बचाव है। उपस्थित लोगों को साइबर अपराधियों द्वारा अपनाए जाने वाले नए तरीकों, फर्जी कॉल, डिजिटल अरेस्ट, संदिग्ध एपीके फाइल डाउनलोड करने के खतरे तथा ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचने के उपायों के बारे में विस्तार से समझाया गया। इस दौरान जागरूकता संबंधी पर्चों का वितरण भी किया गया और लोगों से अपील की गई कि किसी भी संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें, अनजान व्यक्ति के कहने पर मोबाइल में कोई एप डाउनलोड न करें तथा अपनी बैंकिंग और व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें। साथ ही साइबर ठगी की स्थिति में तत्काल राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत दर्ज कराने और समय रहते कार्रवाई कराने की जानकारी भी दी गई।

एक नजर में

चौथे समयमान वेतनमान व पेंशन पुनरीक्षण के दावे पर लो निर्णय : हाईकोर्ट

जबलपुर। हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल धगट की एकलपीठ ने वेतनमान का लाभ, वेतन निर्धारण व पेंशन पुनरीक्षण की मांग संबंधी याचिका का निराकरण करते हुए संबंधित अधिकारियों को याचिकाकर्ता के लंबित अभ्यावेदन पर 90 दिनों के भीतर निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं। साथ ही स्पष्ट किया कि न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की है।याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी रमाकांत पांडेय की ओर से कहा गया कि तीन मार्च 2025 को प्रस्तुत अभ्यावेदन पर अब तक निर्णय नहीं लिया गया है। उन्होंने वित्त विभाग के पांच सितंबर 2020 के परिपत्र के अनुसार चौथे समयमान वेतनमान का लाभ प्रदान कर वेतन निर्धारण तथा पेंशन का पुनरीक्षण किए जाने की मांग की। वहीं राज्य शासन की ओर से न्यायालय को अवगत कराया कि याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन पर विधि व लागू नियमों के अनुरूप विचार कर निर्णय लिया जाएगा। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने संबंधित प्राधिकारियों को निर्देशित किया कि आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर लंबित अभ्यावेदन पर वित्त विभाग के पांच सितंबर 2020 के परिपत्र के आलोक में विधिसम्मत निर्णय लिया जाए।

6 माह का कारावास पूरा करने पर दायर करेंगे जमानत आवेदन

जबलपुर। रीवा जिले के बैकुंठपुर थानान्तर्गत पिता-पुत्र के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों की तरफ से जमानत के लिए हाईकोर्ट की शरण ली थी। जमानत आवेदन की सुनवाई के दौरान आधा दर्जन आरोपियों ने आवेदन वापस लेने का आग्रह करते हुए कहा है कि वह 6 माह की कारावास अवधि पूरी करने के बाद जमानत आवेदन पेश करेंगे। हाईकोर्ट जस्टिस अजय कुमार निरंकारी ने उनके आग्रह को स्वीकार करते हुए प्रकरण में दो अन्य आरोपियों को जमानत का लाभ प्रदान कर दिया। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र में सुरेश कचेर एवं उनके पुत्र पर हुए जानलेवा हमले में पुलिस ने आठ व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था। जिला न्यायालय ने उनका जमानत आवेदन खारिज कर दिया था। जिसके बाद जमानत के लिए उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली थी। पीड़ित पक्ष ने जमानत आवेदन के विरोध करते हुए एकलपीठ को बताया कि आरोपियों ने पिता सुरेश और बेटे निशांत के साथ बेरहमी से मारपीट की थी। जिसके कारण दोनों को फ्रैक्चर व गंभीर चोटें थी। सुनवाई के दौरान 6 आरोपियों की तरफ से जमानत आवेदन वापस लेने की प्रार्थना की। इसके साथ ही 6 महीने का कारावास पूर्ण होने के बाद दोबारा आवेदन लगाने की छूट प्रदान करने का आग्रह किया। एकलपीठ ने आग्रह को स्वीकार करते हुए 6 आरोपियों के जमानत आवेदन को खारिज कर दिया। एकलपीठ ने अन्य आरोपियों को जमानत का लाभ प्रदान कर दिया। पीड़ित परिवार ने एडवोकेट सुजीत तोमर की पैरवी की सराहना की है।

कोबरा से मचा हड़कंप

जबलपुर। पनागर थानांतर्गत ग्राम पुरैना निवासी संतोष प्रजापति के घर में सुबह ग्यारह बजे से एक पांच फीट लंबा कोबरा नाग पूरे कक्ष में घूमता रहा और जोर जोर से फुफकार मारता दहशत का पर्याय बना हुआ था। परिजनों द्वारा सांप को भगाने के प्रयास किए गए, लेकिन असफल हो गए। अंततः दोपहर तीन बजे सर्प विशेषज्ञ गजेन्द्र दुबे को सूचना दी गई जिन्होंने मौके पर पहुंचकर रैस्क्यू करते हुए सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। पकड़ा गया सांप कोबरा प्रजाति का नाग है।जो कि बेहद ख़तरनाक और जहरीला होता है। यद्यपि जब तक सांप से छेड़छाड़ ना की जाए तब तक सर्प किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। सर्प के पकड़े जाने पर सभी ने राहत की सांस ली।

पति-पत्नी ने बिना अनुमति के काटी कॉलोनिया

एक और एफआईआर दर्ज

नवभारत, जबलपुर। पाटन थाना अंतर्गत अंतर्गत टिमरी में नियमों को ताक पर रखकर बिना अनुमति कॉलोनियां काटकर पति-पत्नी ने प्लॉटों को बेच डाला। मामले में पुलिस ने दंपति के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, पुलिस के मुताबिक नलिनी वैश पति राकेश वैश, निवासी सेन्ट्रल प्लाजा, नोदरा ब्रिज ने मौजा टिमरी स्थित खसरा नंबर 57/4/2 की कुल 0.315 हेक्टेयर लगभग सवा तीन एकड़ की कीमती भूमि पर अवैध रूप से कब्जा जमाया हुआ था। इस भूमि पर बिना नगर एवं ग्राम निवेश से ले-आउट स्वीकृत कराए, बिना किसी वैध विकास अनुमति और बिना रेरा की अनुमति के अवैध कॉलोनी का निर्माण कर दिया गया। इस पूरी जमीन को छोटे-छोटे 14 भूखंडों में बांटकर आम लोगों को बेच दिया। मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम-2014 के नियमों

का उल्लंघन किया। उसने बिना कॉलोनाइजर रजिस्ट्रेशन कराए सीधे जमीनों की खरीद-फरोख्त की, जिससे शासन को मिलने वाले अनिवार्य रजिस्ट्रेशन शुल्क और राजस्व की भारी हानि हुई है। इसी प्रकार टिमरी खसरा क्रमांक 57/2/2 भूमि पर में राकेश वैश निवासी सेन्ट्रल प्लाजा, नोदरा ब्रिज, द्वारा बिना किसी वैध प्रशासनिक अनुमति के धड़ल्ले से निर्माण कार्य किया जा रहा था। कोई वैधानिक अनुमति नहीं ली थी। विकास अनुमति के बिना ही नियमों का उल्लंघन कर करीब 20 भू-खंड (प्लॉट्स) अवैध रूप से बेच दिए थे। आरोपी ने मध्य प्रदेश ग्राम पंचायत नियम-2014 का खुला उल्लंघन किया है आरोपी ने अनिवार्य कॉलोनाइजर रजिस्ट्रीकरण शुल्क भी जमा नहीं किया, जिससे शासन को भारी राजस्व की हानि हुई। पुलिस ने पति-पत्नी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है ।

151 भूखंड बेचने पर हो चुकी है एफआईआर

पाटन थाना अंतर्गत तिमरी में भी अवैध रूप से बिना किसी अनुमति के कृषि भूमि पर कॉलोनी काटी गई थी और 151 से अधिक भूखंड (प्लॉट) बेचे गए थे। इस फर्जीवाड़े से जहां सरकार को लाखों रुपये के राजस्व की चपत लगी है, वहीं दूसरी तरफ खरीदारों की गाढ़ी कमाई भी दांव पर लग गई थी। इस मामले में भी पुलिस ने नौदरा ब्रिज सेन्ट्रल प्लाजा निवासी अक्षय सतीश वैश के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया जा चुका है जिसने पाटन तहसील के मौजा तिमरी में स्थित खसरा नंबर 54/2, 56/1, 56/2, और 57/3/2 की करीब 1.5 हेक्टेयर से अधिक की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कॉलोनाइजर का जाल बिछाया था। अक्षय सतीश आरोपित पति-पत्नी का करीबी रिश्तेदार है।

एक ट्रिप निरस्त रहेगी दयोदय एक्सप्रेस

जबलपुर, नवभारत। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर मंडल के मांडावरिया-किशनगढ़ रेलखंड में ब्रिज संख्या 292 पर आरसीसी बॉक्स द्वारा स्टोन स्लैब प्रतिस्थापन कार्य किए जाने के कारण पश्चिम मध्य रेल से प्रारंभ टर्मिनेट होने वाली गाड़ी संख्या 12181/82 जबलपुर-अजमेर दयोदय एक्सप्रेस अक्टूबर माह में दोनों दिशाओं में 01-01 ट्रिप जयपुर-अजमेर के बीच आंशिक निरस्त रहेगी। गाड़ी संख्या 12181 जबलपुर-अजमेर एक्सप्रेस 24 अक्टूबर को जबलपुर से अपने निर्धारित समयानुसार प्रस्थान कर जयपुर स्टेशन तक ही संचालित होगी। अर्थात जयपुर-अजमेर रेलखंड के मध्य यह गाड़ी आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।वही गाड़ी संख्या 12182 अजमेर-जबलपुर एक्सप्रेस 25 अक्टूबर को अपने निर्धारित प्रारंभिक स्टेशन अजमेर के स्थान पर जयपुर स्टेशन से अपने निर्धारित समयानुसार प्रस्थान कर जबलपुर तक संचालित होगी। अर्थात अजमेर-जयपुर रेलखंड के मध्य यह गाड़ी आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

कैमोर एसीसी फैक्ट्री में धूं-धूं कर जला 149 किलो गांजा

डीआईजी और एसपी की मौजूदगी में 21 मामलों का माल नष्ट

नवभारत, जबलपुर। मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। न्यायालयीन प्रक्रिया और मुख्यालय के आदेशों का पालन करते हुए पुलिस ने विभिन्न थानों द्वारा जब्त किए गए कुल 149 किलो 477 ग्राम गांजे को आग के हवाले कर नष्ट कर दिया। यह पूरी कार्रवाई कटनी जिले के कैमोर स्थित ए.सी.सी. सीमेंट फैक्ट्री के परिसर में कड़ी सुरक्षा के बीच पूरी की गई जहां नशे की खेप धूं धूं कर जली। जानकारी के अनुसार नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो नई दिल्ली और नारकोटिक्स मुख्यालय भोपाल से प्राप्त परिपत्र के बाद, पुलिस उप महानिरीक्षक जबलपुर रेंज अतुल सिंह ने एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त माल के विनष्टीकरण के आदेश जारी किए थे।

आदेश के पालन में पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देशन में सभी थानों में माल का विधिवत तौल और दस्तावेजीकरण किया गया। शनिवार को कैमोर सीमेंट फैक्ट्री में डीआईजी अतुल सिंह, एसपी सम्पत उपाध्याय और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय) सूर्यकांत शर्मा की विशेष उपस्थिति में नष्टीकरण की प्रक्रिया शुरू हुई। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि जिला जबलपुर के विभिन्न थानों में एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कुल 21 मामलों में यह गांजा जब्त किया गया था, जिसका वजन 149 किलो 477 ग्राम था।

स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी वार्षिक ब्याज के साथ करें राशि का भुगतान

जबलपुर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग ने स्टार हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को इलाज में व्यय हुई राशि 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज के साथ आवेदक को भुगतान करने के आदेश जारी किये है। आयोग ने आवेदक को मानसिक कष्ट के लिए 5000 तथा परिवाद व्यय के लिए दो हजार रुपये का भुगतान करने के आदेश जारी किये है।

आवेदन जितेंद्र गुप्ता की तरफ से दायर अपील में कहा गया था कि उसने स्टार हेल्थ से 2015 में स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी फैमिली हेल्थ ऑप्टिमा प्लान क्रय किया गया था। जिसे वह निरंतर नवीनीकरण करता आ रहा था। परिवादी सांस लेने में अत्यधिक कठिनाई होने पर 4 फरवरी 2023 को जांच के लिए हॉस्पिटल जाते समय बेहोश होकर गिर गया। भाई ने उसे अपेक्स अस्पताल में जाकर भर्ती कराया और परिवार जनों ने 24 घंटे के भीतर दावे की सूचना बीमा कंपनी को दे दी। बीमा कंपनी ने यह कहकर दावा निरस्त कर दिया कि जिस अस्पताल से उपचार कराया है वह ब्लैकलिस्टेड है। आयोग ने अपने आदेश में कहा है कि बीमा कंपनी पर बीमा पॉलिसी के अधीन दावा की गई राशि के भुगतान का दायित्व था परंतु उसके द्वारा बिना किसी उचित आधार के परिवादी का बीमा दावा निरस्त किया गया है जो कि परिवादी के प्रति सेवा में कमी की श्रेणी में आता है। आयोग ने बीमा कंपनी उपचार में व्यय की गई राशि 50,836 रुपए 7 प्रतिशत वार्षिक दर से भुगतान करने के आदेश जारी किये है।

समीक्षा बैठक ▶ सीवर लाइन नेटवर्क और नई पेयजल पाइप लाइनों के कार्य में गति लाई जाए

लापरवाही पर सीधे दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी : निगमायुक्त

अमृत 2.0 एवं वर्षाकालीन ड्रेनेज कार्यों की हुई समीक्षा

जबलपुर। शहर के विभिन्न वार्डों में डाली जा रही सीवर लाइन नेटवर्क और नई पेयजल पाइप लाइनों के कार्य में गति लाई जाए। ठेकेदार एजेंसियों और तकनीकी अधिकारियों को कहा कि सड़कों की खुदाई के बाद उनका रिस्टोरेशन तत्काल गुणवत्ता के साथ किया जाए। निर्माण कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या शिथिलता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों व निर्माण एजेंसियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह बातें निगमायुक्त राम प्रकाश अहिरवार द्वारा शनिवार को नगर निगम मुख्यालय में अमृत योजना एवं वर्षा ऋतु के मद्देनजर शहर की जल निकासी व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा बैठक में कहीं। समीक्षा बैठक में संस्कारधानी जबलपुर की बुनियादी अधोसंरचना को सुदृढ़ करना और नागरिकों को जलभराव व दूषित पेयजल जैसी समस्याओं से शत-प्रतिशत राहत दिलाना रहा।

जलभराव रोकने जोन वार माइक्रो-प्लानिंग

संभावित भारी वर्षा के दृष्टिगत निगमायुक्त अहिरवार ने जबलपुर निगम के अंतर्गत आने वाले बड़े नालों की सफाई व्यवस्था की प्रगति जांची। उन्होंने सभी 16 जोनों के सहायक अधिकारियों और मुख्य स्वच्छता निरीक्षक को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए। निगमायुक्त ने कहा कि निचले और संवेदनशील क्षेत्रों में जल-निकासी हेतु तत्काल डीजल पंपों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि आमजन को असुविधा न हो। समीक्षा बैठक में संबंधित सभी अधिकारी कर्मचारी उपस्थित रहे।